राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4583/2022

डॉ अनिता शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–II एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.09.2022

आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से सी.एच.सी. निवाई, जिला टोंक में कर दिया गया। अपीलार्थी के पति असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति रही है कि यथासम्भव पति–पत्नी को निकट स्थान या जिले में पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की सास वयोवृद्ध है, जो कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिनका निरन्तर ईलाज जयपुर में चल रहा है अनुलग्नक–4। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा

अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी के पद पर महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में ही कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावें।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य